भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3217
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

उद्यम सखी पोर्टल

3217. **श्री अजय भट्टः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्यम सखी पोर्टल शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पोर्टल के लिए कोई बजटीय आवंटन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने महिला उद्यमियों और महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो उक्त योजना के तहत महिला लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्तराखंड सहित देश भर में आज की तिथि तक उक्त परियोजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क), (ख), (ग) एवं (ङ): उद्यम सखी पोर्टल की परिकल्पना और उसका आरंभ 2018 में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ताकि महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने और उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने हेतु सरकारी स्कीमों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवसाय योजना, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों तथा अन्य सहायता सेवाओं संबंधी जानकारी प्रदान करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। 2018 में पोर्टल के विकास पर ₹43.52 लाख का व्यय किया गया था। इसके पश्चात, उद्यम सखी पोर्टल के लिए कोई पृथक बजटीय आवंटन अथवा परियोजना-वार निधि आवंटन/उपयोग नहीं किया गया है। पोर्टल पर कुल 4580 महिला उद्यमियों ने पंजीकरण कराया था तथा उत्तराखंड सहित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक-I में है।

तत्पश्चात, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी), उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) और मंत्रालय की यशस्विनी पहल युक्त एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से महिला उद्यमियों हेतु सहायता को मुख्यधारा में लाने के सरकार के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, उद्यम सखी पोर्टल के उद्देश्यों को इन प्लेटफॉर्मों के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। तदनुसार, उद्यम सखी पोर्टल को बंद कर दिया गया है और इस संबंध में दिनांक 01.01.2026 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचना जारी कर दी गई है। उद्यम सखी पोर्टल पर पंजीकृत महिला उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल/उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है।

(घ): एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई (महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित) के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई स्कीमें, यथा- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), आईसी स्कीम, कयर विकास योजना, स्फूर्ति, ईएसडीपी तथा अन्य अंतःक्षेप आरंभ किए हैं। उक्त स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक-II में है।

अनुलग्नक-I

लोक सभा में दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3217 के भाग (क), (ख), (ग) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

उद्यम सखी पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत और लाभान्वित महिलाओं का मध्यप्रदेश सहित राज्य-वार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार	3
2.	आंध्र प्रदेश	427
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	22
5.	बिहार	1,023
6.	छत्तीसगढ़	51
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	77
9.	हरियाणा	96
10.	हिमाचल प्रदेश	6
11.	झारखंड	34
12.	कर्नाटक	125
13.	केरल	41
14.	मध्य प्रदेश	81
15.	महाराष्ट्र	580
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	2
19.	नागालैंड	40
20.	ओडिशा	17
21.	पंजाब	54
22.	राजस्थान	252
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	553
25.	तेलंगाना	58
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	380
28.	उत्तराखंड	26
29.	पश्चिम बंगाल	72
30.	जम्मू और कश्मीर	18
31.	दिल्ली	539
	कुलः राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	4580

अनुलग्नक-II

सीजीएस - स्वीकृत गारंटियां - महिला नेतृत्व वाले एमएसई			
वर्ष 2000 में आरंभ से 31.07.2026 तक			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**स्वीकृत गारंटियों की संख्या**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,207	133
2	आंध्र प्रदेश	4,66,036	12,296
3	अरुणाचल प्रदेश	5,182	556
4	असम	76,896	4,328
5	बिहार	1,54,633	9,387
6	चंडीगढ़	7,305	571
7	छत्तीसगढ़	52,470	3,818
8	दिल्ली	40,572	7,346
9	गोवा	10,728	918
10	गुजरात	1,01,298	17,016
11	हरियाणा	63,282	7,889
12	हिमाचल प्रदेश	37,217	2,670
13	जम्मू और कश्मीर	1,37,676	3,889
14	झारखंड	60,546	4,487
15	कर्नाटक	2,40,755	19,057
16	केरल	1,73,061	6,726
17	लद्दाख	569	53
18	लक्षद्वीप	126	4
19	मध्य प्रदेश	1,43,492	11,669
20	महाराष्ट्र	1,94,830	28,238
21	मणिपुर	9,042	381
22	मेघालय	7,960	551
23	मिजोरम	6,717	391
24	नागालैंड	7,398	382
25	ओडिशा	1,08,907	9,183
26	पुदुचेरी	6,907	450
27	पंजाब	97,142	7,451
28	राजस्थान	1,04,046	10,232
29	सिक्किम	3,311	198
30	तमिलनाडु	2,97,764	21,195
31	तेलंगाना	89,875	10,188
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1,164	291
33	त्रिपुरा	11,569	537
34	उत्तर प्रदेश	4,05,280	24,582
35	उत्तराखंड	30,861	2,726
36	पश्चिम बंगाल	1,49,989	12,395
	कुल	**33,05,813**	**2,42,182**

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों की संख्या

	अखिल भारत		उत्तराखंड	
वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रु.)	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रु.)
2021-22	39158	1244.52	489	11.84
2022-23	32626	1175.64	484	14.48
2023-24	36806	1413.99	377	14.75
2024-25	23434	972.42	213	7.10
2025-26	28180	1120.02	158	6.76

आईसी स्कीम

(करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	कुल लाभार्थी	महिला लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	उस वित्त वर्ष में स्कीम का आशोधित बजटीय व्यय	उस वित्त वर्ष में स्कीम का वास्तविक व्यय
2021-22	58	2 / 3.5%	3.26	3.24
2022-23	205	37 / 18%	11.30	11.28
2023-24	468	95 / 20%	19.31	19.20
2024-25	528	52 / 10%	20.69	20.03
2025-26	353	42 / 12%	19.07	14.62

कयर बोर्ड

एमएसएमई मंत्रालय

विगत पांच वर्षों के दौरान कयर विकास योजना स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्योरा:

वित्त वर्ष	क्रियाकलाप	कुल लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	उस वित्त वर्ष में स्कीम का वास्तविक व्यय (लाख रु. में)	महिला उद्यमियों पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
2020-21	कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	7145	7027- 98.35%	572.37	562.93
	ईएमडीए/आईसी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमियों की संख्या	81	6- 7.40%	168.98	18.30
	एचआरडी प्रशिक्षण के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	0	0	0	0
2021-22	कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	4755	4570- 96.11%	422.28	405.85
	ईएमडीए/आईसी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमियों की संख्या	0	0	0	0
	एचआरडी प्रशिक्षण के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	538	503- 93.5%	5.44	5.09
2022-23	कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	2794	2713 - 77.77%	253.40	197.06
	ईएमडीए/आईसी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमियों की संख्या	50	4 -8%	106.80	10.38
	एचआरडी प्रशिक्षण के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	500	475-95%	5.00	4.75
2023-24	कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	4193	4055-96.71%	366.47	354.41
	ईएमडीए/आईसी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमियों की संख्या	64	3- 4.68%	270.94	18.48
	एचआरडी प्रशिक्षण के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	500	461- 92.2%	4.82	4.44
2024-25	कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	2121	2061- 97.17%	198.98	193.27
	ईएमडीए/आईसी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमियों की संख्या	122	6- 4.91%	505.00	28.88
	एचआरडी प्रशिक्षण के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	487	461- 94.66%	4.92	4.66

स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों से संबंधित आंकड़े

वित्त वर्ष	कुल लाभार्थी	महिला लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	वर्षवार %	उस वित्त वर्ष में स्कीम का वास्तविक व्यय (करोड़ में)	##महिला उद्यमियों के लिए किया गया व्यय
2019-2020	85029	45666	54	181.81	लागू नहीं
2020-2021	62754	32581	52	349.10	लागू नहीं
2021-2022	61824	33610	54	372.37	लागू नहीं
2022-2023	8875	4979	56	1.95	लागू नहीं

नोट: स्फूर्ति केवल 30.09.2022 तक ही जारी रही

स्फूर्ति के अंतर्गत निधियां सीएफसी के निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद आदि के लिए जारी की जाती हैं, न कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को।

विगत 5 वर्षों में एस्पायर स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों से संबंधित आंकड़े

वित्त वर्ष	कुल लाभार्थी	महिला लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	वर्षवार %	उस वित्त वर्ष में स्कीम का वास्तविक व्यय (करोड़ में)	##महिला उद्यमियों के लिए किया गया व्यय
2020-2021	6598	*	-	13.26	लागू नहीं
2021-2022	10569	*	-	8.64	लागू नहीं
2022-2023	19810	8865	44.75	4.00	लागू नहीं
2023-2024	20354	10982	53.95	2.84	लागू नहीं
2024-2025	10950	5245	47.89	7.55	लागू नहीं
2025-2026	6361	3306	51.97	3.75 (अद्यतन तक)	लागू नहीं

***नोट: जेंडर एग्रीगेटेड आंकड़ा संग्रहण अप्रैल 2022 में आरंभ किया गया।**

एस्पायर के अंतर्गत, निधियां आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए जारी की जाती हैं, न कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को।

ईएसडीपी (विगत 5 वर्षों) के अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों से संबंधित आंकड़े

वित्त वर्ष	कुल लाभार्थी	महिला लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	उस वित्त वर्ष में स्कीम का वास्तविक व्यय	महिला उद्यमियों के लिए किया गया व्यय
2021-22	25453	42.63%	लागू नहीं	लागू नहीं
2022-23	121058	55.36%	लागू नहीं	लागू नहीं
2023-24	201706	58.12%	लागू नहीं	लागू नहीं
2024-25	304120	53.39%	लागू नहीं	लागू नहीं
2025-26 (12.02.2026 तक)	391518	50.55%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**1043855**	**51.76%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**